Annexure -XXXI

संख्या – 994/XXXI(13)G/2005

प्रेषक,

एम. रामचन्द्रन,
मुख्य सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

2– मण्डलायुक्त एवं समस्त जिलाधिकारी
उत्तरांचल।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादूनः दिनांक 04 जनवरी, 2006

विषयः सरकारी कार्यालयों में मध्याह्न भोजन का समय निर्धारण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने आदेश संख्या–2102/तीन–90–55जी/1958–सा0 प्र0 अनु0 दिनांक 25 जुलाई, 1990 (जिसकी प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है) द्वारा सरकारी कार्यालयों में मध्याह्न भोजन के समय निर्धारण एवं प्रक्रिया के बारे में विस्तृत आदेश जारी किये गये थे।

2. शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि इन आदेशों के अनुरूप कार्यालयों में मध्याह्न भोजन के समय एवं इसके उपभोग के बारे मे निर्धारित व्यवस्था का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जिससे आम जनता को कार्यालयों में आने पर असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी कार्यालयों में मध्याह्न भोजनावकाश हेतु निम्न प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी :

- मध्याह्न भोजन का समय 1.00 बजे अपरान्ह से 2.30 बजे अपरान्ह के मध्य केवल आधे घण्टे का होगा और इस अवधि में ही प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी मध्याह्न भोजन के लिये जायेंगे।

- सचिवालय में अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी एवं अन्य समस्त कार्यालयों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/कार्यालय अधीक्षक और जहां इन नाम से अधिकारी न हों वहां पर उनसे वरिष्ठ अधिकारी अपने कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के आधे घण्टे के मध्याह्न भोजन का समय इस प्रकार निर्धारित करेंगे कि एक बार में लगभग एक तिहाई ही कर्मचारी मघ्याह्न भोजन पर जायें। जहां पर एक अधिकारी एवं एकल कर्मचारी ही हों वहां पर वे आपस में मध्याह्न भोजन का समय इस प्रकार तय करेंगे कि उनमें से एक कार्यालय में

अवश्य उपस्थित रहे। मध्याह्न भोजन की विभिन्न अवधियों में जाने वाले कर्मचारियों की सूची विभाग में टांगी जाये।

- समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष अपने विभागों एवं कार्यालयों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने के लिये उत्तरदायी होंगे।

भवदीय

(एम. रामचन्द्रन)
मुख्य सचिव

संख्या – 994 / XXXI(13)G / 2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :

1. मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तरांचल, सेक्टर–1, सी–10, डिफैंस कोलोनी, देहरादून को उनके पत्र संख्या–60 / मु.सू.आ. / 2005 दिनांक 03.12.2005 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव उत्तरांचल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अपने नियंत्रणाधीन विभागों में मध्याह्न भोजन के समय को उपरोक्तानुसार निर्धारित करने हेतु अपने स्तर से भी निर्देश निर्गत करना सुनिश्चित करें।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
4. रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय नैनीताल को सूचनार्थ एवं ऐसी कार्यवाही के लिये प्रेषित जिसे मा. उच्च न्यायालय आवश्यक समझे।
5. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(राजीव गुप्ता)
प्रमुख सचिव